# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / पीएसपी–सी / विविध / 2019 दिनांकः–13.5.201

**अति–आवश्यक**

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय,
..........................(समस्त)।

विषयः– ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यालय संचालन हेतु परिपत्र।
प्रसंगः– अभिभावकों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कम में वर्तमान में ग्रीष्मावकाश आरम्भ हो चुका है। अभिभावकों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के द्वारा ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा शासन एवं विभाग स्तर से जारी नियमों / पंचाग की अवहेलना की जाकर ग्रीष्मावकाश आरम्भ होने के उपरान्त भी विद्यालय में अवकाश घोषित नहीं किया गया है, नियमों का उल्लंघन कर विद्यालय संचालन ग्रीष्मावकाश में भी जारी है। राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालय जिसमें कि **राजस्थान बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त निजी विद्यालय शामिल हैं,** को सख्ती से पाबन्द किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी नियमों (ग्रीष्मावकाश तिथियों) की पालना अक्षरशः करना सुनिश्चित करें। इसमें कोताही बरती जाने पर संबंधित विद्यालय के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके लिये संबंधित विद्यालय व्यक्तिशः दोषी होगा।

www.rajteachers.com

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।